



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 21.11.2023

थाना आदर्शमण्डी

थाना आदर्शमण्डी पुलिस व एसओजी टीम द्वारा जनपद बागपत से लूटी गई फर्जी नम्बर प्लेट लगी मोटरसाइकिल सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

आज दिनांक 21.11.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना आदर्शमण्डी पुलिस व एसओजी टीम द्वारा 01 अभियुक्त को फर्जी नम्बर प्लेट लगी 01 मोटरसाइकिल एचएफ डीलक्स सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना आदर्शमण्डी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। बरामद मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में जानकारी करने पर मोटरसाइकिल थाना बडौत जनपद बागपत क्षेत्र से लूटी गई है, जिसके सम्बन्ध में जनपद बागपत के थाना बडौत पर मु0अ0सं0 774/22 धारा 392 भादवि पंजीकृत है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. जुनैद पुत्र हारुन निवासी ग्राम बराला थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1. जनपद बागपत से लूटी हुई मोटरसाइकिल एचएफ डीलक्स रजि0 नं-UP17Q8332

2. फर्जी 02 नम्बर प्लेट रजि0 नं- UP19 E9362 (आगे-पीछे)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री गौरव चौहान थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

2. है0का0 शौकीन राणा थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

3. है0का0 सुरेश एसओजी टीम जनपद शामली।

4. का0 कपिल कुमार एसओजी टीम जनपद शामली।



थाना बाबरी

थाना आदर्शमण्डी पुलिस व एसओजी टीम द्वारा जनपद बागपत से लूटी गई फर्जी नम्बर प्लेट लगी मोटरसाइकिल 01 वाहन लुटेरा गिरफ्तार:-

आज दिनांक 21.11.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना आदर्शमण्डी पुलिस व एसओजी टीम द्वारा 01 वाहन लुटेरे को फर्जी नम्बर प्लेट लगी थाना बडौत जनपद बागपत क्षेत्र से लूटी हुई 01 मोटरसाइकिल एचएफ डीलक्स सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना आदर्शमण्डी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। बरामद मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में जानकारी की गई तो उक्त मोटरसाइकिल थाना बडौत जनपद बागपत क्षेत्र से लूटी जाना पाया गया है, जिसके सम्बन्ध में जनपद बागपत के थाना बडौत पर मु0अ0सं0 774/22 धारा 392 भादवि पंजीकृत है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. जुनैद पुत्र हारुन निवासी ग्राम बराला थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1. जनपद बागपत से लूटी हुई मोटरसाइकिल एचएफ डीलक्स रजि0 नं-UP17Q8332

2. फर्जी 02 नम्बर प्लेट रजि0 नं- UP19 E9362 (आगे-पीछे)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री गौरव चौहान थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

2. है0का0 शौकीन राणा थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

3. है0का0 सुरेश एसओजी टीम जनपद शामली।

4. का0 कपिल कुमार एसओजी टीम जनपद शामली।



थाना कैराना

थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला आलखुर्द में घर में घुसकर जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार :-

आज दिनांक 21.11.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला आलखुर्द में घर में घुसकर जानलेवा हमला करने के मामले में 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। घटना में लिप्त 01 अभियुक्त जुलफान को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों लगाई गयी है। शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

ज्ञात हो कि दिनांक 02.10.2023 को श्री हाशिम पुत्र श्री अशरफ निवासी मौहल्ला आलखुर्द निकट इब्राहिमपुरा मस्जिद थाना कैराना जिला शामली ने अभिगण माजिद पुत्र अब्दुल, रिजवाना पत्नी माजिद निवासीगण ग्राम मंसूरा थाना झिंझाना जनपद शामली व जुलफान पुत्र अकबर, जुलफाना पत्नी जुलफान, अकबर पुत्र अल्लाबख्श, हारुन पुत्र आलमदीन निवासीगण ग्राम मलकपुर थाना कैराना जिला शामली व 03 व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरुद्ध एक राय होकर लाठी डण्डो से लैस होकर घर में घुस कर मारपीट कर जानलेवा हमला करने, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना कैराना पर नामजद लिखित तहरीर दाखिल की गयी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.माजिद पुत्र अब्बल निवासी ग्राम मंसूरा थाना झिंझाना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त:-

1.मु0अ0सं0 520/23 धारा 147,148,149,307,323,325,452, 504,506 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.उ0नि0 श्री सुशील कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

2.का0 अमित कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

3.का0 लोकेन्द्र कुमार थाना कैराना जनपद शामली।



थाना कांधला

थाना कांधला पुलिस द्वारा गौतस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 01 जिन्दा गौवंश व कटान करने के उपकरण बरामद:-

आज दिनांक 21.11.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे पशुओं की तस्करी एवं कटान की रोकथाम अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 गौतस्कर को 01 जिन्दा गौवंश तथा कटान करने के उपकरण सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. साजिद पुत्र इश्वाक निवासी मौहल्ला खेल कस्बा व थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1. एक जिन्दा गौवंश (बछड़ा)।
2. कटान करने के उपकरण 01 दाव, 01 छुरा, 01 रस्सी, 01 रास।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. 30नि0 श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा थाना काँधला जनपद शामली।
2. है0का0 मोतीलाल थाना काँधला जनपद शामली।
3. है0का0 अंकुर चौधरी थाना काँधला जनपद शामली।



उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के चलते अवैध हथियार रखने के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय कैराना द्वारा सुनाई जेल में बिताई गई अवधि के कारावास की सजा एवं अर्थदंड से दंडित भी किया गया:-

वर्ष 2008 में अभियुक्त जेनेश्वर उर्फ टिन्की पुत्र विरम सिंह निवासी जमालपुर थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध मु0अ0सं0 933/08 धारा 25 आयुध अधिनियम में थाना झिंझाना जनपद शामली पर पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 21.11.2023 को माननीय न्यायालय JM कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 25 आयुध अधिनियम में सुनाई जेल में बिताई गई अवधि के कारावास की सजा व 1000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

नाम व पता अभियुक्त:-

1.जेनेश्वर उर्फ टिन्की पुत्र विरम सिंह निवासी जमालपुर थाना झिंझाना जनपद शामली

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के अन्तर्गत शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में डकैती की घटना कारित करने के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय शामली द्वारा सुनाई 10 वर्ष के कारावास की सजा एवं 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित भी किया गया !

वर्ष 2011 में अभियुक्त इमरान उर्फ इकराम पुत्र इन्तजार रांघड निवासी ग्राम भैंसानी थाना थानाभवन जनपद शामली द्वारा थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत डकैती की घटना कारित की गई थी। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 110/2011 धारा 395 भादवि में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर माल की बरामदगी करते हुये धारा 412 भादवि की वृद्धि की गयी तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए शामली पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। उक्त मुकदमें में अभियुक्त उपरोक्त को सजा कराए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा शामली पुलिस को न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के लिए निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में आज दिनांक 21.11.2023 को माननीय न्यायालय ADJ-12 मुजफ्फरनगर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 395/149 भादवि में 10 वर्ष के कारावास की सजा व 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

नाम व पता अभियुक्त:-

इमरान उर्फ इकराम पुत्र इन्तजार रांघड निवासी ग्राम भैंसानी थाना थानाभवन जनपद शामली

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के अन्तर्गत शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में नाबालिग से छेड़छाड़ की घटना के मामले में 48 दिवस में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई 05 वर्ष के कारावास की सजा एवं 3,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित भी किया गया ।

दिनांक 22.06.2023 को थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त बिट्टू पुत्र पाला उर्फ पालाराम निवासी ग्राम खेड़ी करमू थाना कोतवाली जनपद शामली द्वारा नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की घटना कारित की गई थी । घटना के संबंध में दिनांक 23.06.2023 को थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 307/23 धारा 342, 354A भादवि व 9M/10 पोक्सो अधिनियम में पंजीकृत किया गया था । इस मामले में अभियुक्त को तत्काल गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया तथा उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा 48 दिवस में नियमित प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 21.11.2023 को माननीय न्यायालय एडीजे-स्पेशल/पोक्सो कोर्ट कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त बिट्टू उपरोक्त को दोषी पाते हुए धारा 342 भादवि में 01 वर्ष का कारावास व 500/- रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास व धारा 354A भादवि में 01 वर्ष का कारावास व 500/- रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास व धारा 9एम/10 पोक्सो एक्ट में 05 वर्ष का कारावास व 2000/- रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।

नाम व पता अभियुक्त:-

1.बिट्टू पुत्र पाला उर्फ पालाराम निवासी ग्राम खेड़ी करमू थाना कोतवाली जनपद शामली ।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI